न्याय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अपराधिक अपील (एकल पीठ) सं. 79/2004

==

1. बंगाली राम, स्वर्गीय गोविंद राम के पुत्र।

2. श्याम सुंदर राम, बंगाली राम का पुत्र

दोनों गाँव-पोच टांडा, थाना - रहुई, जिला-नालंदा के निवासी हैं।

...... याचिकाकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य .... प्रतिवादी

==

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री. राजकुमार मिश्रा, न्यायमित्र ,

प्रत्यर्थी के लिए : श्री आनंद मोहन प्रसाद मेहता, एपीपी

==

भारतीय दंड संहिता - धारा 304(ब) ताथा धारा 201

भारतीय साक्ष्य अधिनियम- धारा 113(ब) दंड प्रक्रिया संहिता- धारा 374(ब)

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 374(2) के तहत अपीलार्थियों को धारा 304(ब) तथा 201 भा० दं० सं० के अन्तर्गत दोषी-सिद्धि के आदेश तथा सजा के आदेश के खिलाफ की गई है|

निम्न्लिखित निर्णयो पर भरोसा किया गया:-

अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य [ए० आई० आर० 2001 एस० सी० 2124] बैजनाथ और अन्य बनाम म० प्र० राज्य [(2017) 1 एस० सी० सी० 101]

चरण सिंह @ चरनजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2023 एस० सी० सी० ऑनलाइन 454]

मुन्नालाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य [(2023) ए० सी० सी० ऑनलाइन 8080]

जगदिश चंद्र बनाम हरियाणा राज्य (2019) 9 SCC 138

बंशीलाल बनाम हरियाणा राज्य (2011) 11 SCC 359

सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 10 SCC 270

तारा सिंह बनाम राज्य [1951 SCC 903]

निर्णित किया गया - यह प्रतीत नहीं होता है कि दहेज मांग के कारण सूचक की बेटी की मृत्यु अथवा घटना से पहले क्रूरता या मानसिक यातना का सामना करना पड़ा| (पारा-19) --- इतनी गवाही के कारण यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि दहेज की मांग सूचक की बेटी की मृत्यु से पहले नही उठाई गई थी (पारा-27)--- अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के स्थान को साबित नही किया गया (पारा-27) द० प्र० स० की धारा 313 के तहत परीक्षण बहुत ही गुप्त और आकस्मिक तरीके से दर्ज की गई प्रतीत होती है (पारा-28)--- ऐसा प्रतीत होता है के अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान सामने आये कई संदेहों का जवाब देने विफल रहा, जिसका लाभ अपीलार्थियों/अभियुक्तों को दिया जाना चाहिये (पारा-30)--- तदनुसार, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है (पारा-31)।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

===

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर झा

मौखिक आदेश

तारीख : 09-02-2024

वर्तमान अपील अपीलार्थी-दोषी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत (इसके बाद दं. प्र. स. के रूप में संदर्भित) की गई है, जिसमे अपर जिला और सत्र न्यायधीश त्वरित (अपर) न्यायालय, नालंदा, बिहार रहुई थाना कांड सं. 2/1990 से उत्पन्न सत्रवाद सं. 51/1991 | विचरण सं.- 70/2022 दिनांक 19/11/2023 के दोषी ठहराए जाने वाले आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को चुनौती डी गई है , जिसके तहत निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी और 201 (संक्षेप में भा० द० स०) के तहत उपरोक्त दोनों अपीलार्थियों को दोषी ठहराया है और भा० द० स० की धराा 304 बी के तहत दस साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और भा० द० स० की धारा 201 के तहत तीन साल के साधारण कारावास के साथ Rs.5000 के जुर्माना और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, आगे ढाई साल के कारावास की सजा भुगतनी होगी, सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, जैसा कि लिखित सुचना से पता चलता है कि सूचना देने वाला, अमृत राम/अभि.सा.-7, जब किसी अन्य काम के सिलसिले में अपनी बेटी के वैवाहिक गांव गया था, तो वह अपनी 'समधी' से मिला, जिसने उसे बहुत ही लापरवाह तरीके से जवाब दिया, जिससे संदेह हुआ, जिसके बाद वह सीधे अपनी बेटी के घर गया, जहां उसने पाया कि उसकी बेटी एक खाट पर मृत पड़ी है। वह अपने गाँव लौटा और शिव कुमार महतो, नाथुन तांती और विजय राम को घटना के बारे में सूचित किया और उन्हें एक साथ ले जाकर, अपनी बेटी के वैवाहिक गाँव, पंचितंद में आया, जहाँ उसने पाया कि

उसकी बेटी का शव गायब था और परिवार का कोई सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था। यह कहा गया था कि उसकी '*समधी*' और दामाद आमतौर पर दहेज की मांग को पूरा न करने पर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। उन्हें संदेह था कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद, श्याम सुन्दर राम और उसके पिता द्वारा की जा सकती है। यह कहा गया है कि शादी 6,000/- रुपये की कुल नकद राशि पर खिलाफ तय की गई थी, जिसमें रु. 4,000/- का भुगतान उनके द्वारा किया गया था, लेकिन वे 2,000/- रुपये की शेष राशि का प्रबंधन नहीं कर सके।

3. उपरोक्त लिखित सुचना के आधार पर, पुलिस ने राहुई थाना कांड संख्या 2/1990 के रूप में मामला दर्ज किया। जाँच पूरी होने के बाद भा० द० स० की धारा 304-बी और 201 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

4. जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने अपराध का संज्ञान लिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अनुपालन के बाद, मुकदमे और निपटारे के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 को ध्यान में रखते हुए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

5. विद्वत विचारण न्यायालय ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर उपरोक्त नामित दोनों अपीलार्थियों/अभियुक्तों को भा० द० स०. की धारा 304-बी और 201 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 06.07.1991 को आरोपों की व्याख्या की, जिस पर उन्होंने इनकार किया और '**दोषी नहीं**' होने का अनुरोध किया और मुकदमे के लिए दावा किया।

6. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाहों से पूछताछ की है, वे हैंः-अभि.सा.-1 सिया राम, अभि.सा.-2 कारू राम, अभि.सा.-3 विजय राम, अभि.सा.-4 मोहम्मद वफाउद्दीन अभि.सा.-5 बनारेस प्रसाद, अभि.सा.-6 सतेंद्र प्रसाद, अभि.सा.-7 अमृत राम (सूचक), अभि.सा.-8 यदू महतो और अभि.सा.-9 भागवत प्रसाद।

7. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान प्रदर्शित निम्नलिखित दस्तावेजों पर भी भरोसा किया हैः -

क्रम.सं.	प्रदर्शों की संख्या	
1	प्रदर्श - 1	प्राथमिकी पर राहुई थाना के अवर निरीक्षक(दरोगा) शिव पूजन सिंह के हस्ताक्षर
2	प्रदर्श - 2	*फरदबेयान* पर अमृत राम के हस्ताक्षर

8. मुकदमे के दौरान सामने आई सामग्री के आधार पर, दोनों अपीलार्थियों/अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके खिलाफ अलग-अलग सामने आई आपराधिक परिस्थितियों/साक्ष्यों को दर्ज करके पूछताछ की गई, जिससे उन्होंने इनकार किया और उनकी पूरी बेगुनाही को दर्शाता है।

8. अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने अपने बचाव में दो गवाहों से पूछताछ की, जो बचाव साक्ष्य-1 श्याम सुंदर राम और बचाव साक्ष्य .-2 मिथलेश प्रसाद उर्फ मीतू महतो हैं।

9. अपीलार्थियों/अभियुक्तों की ओर से उपस्थित न्यायमित्र श्री प्रिंस कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में सूचक की मृत बेटी के शव का अंतःपरिक्षण नहीं किया गया था और इसके अभाव में, मृत्यु को अप्राकृतिक के रूप में साबित नहीं किया जा सकता है, जो भा० द० स० की धारा 304-बी के तहत मामला बनाने के लिए एक प्रमुख विचार है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से, यह एकत्र नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु से तुरंत पहले, पीड़ित/मृतक को दहेज की मांग के संबंध में मानसिक या शारीरिक क्रूरता का शिकार होना पड़ा था और इसके अभाव में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत उपलब्ध धारणा को लाया नहीं जा सकता है। विद्वान न्यायमित्र द्वारा आगे यह बताया गया है कि जाँच अधिकारी की

इस मामले में जाँच नहीं की है और इसके अभाव में, घटना के स्थान को स्थापित नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जाँच अधिकारी की जाँच न होने के कारण, अपीलार्थी/अभियुक्त व्यक्तियों को अभियोजन पक्ष के गवाहों से आमंत्रित किए गए ध्यान का खंडन करने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया था और इसलिए कि वे गवाहों की विश्वसनीयता पर महाभियोग चलाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के तहत उपलब्ध बचाव के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित थे। विद्वान न्यायमित्र द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभि.सा.-7 के बयान को देखते हुए मृतक के ससुराल में अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 की उपस्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है। उन्हें मृत शरीर और उनके द्वारा वर्णित चोट का गवाह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उन्हें केवल अभि.सा.-07(सात) द्वारा उनकी दूसरी यात्रा के दौरान बुलाया गया था। और उस समय तक, मृतक के वैवाहिक घर में कोई शव मौजूद नहीं था। तर्क का समापन करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरह से अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई थी, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्य को उन्हें ठीक से समझाया नहीं गया था और उनकी जांच बहुत ही गुप्त और सामान्य तरीके से की गई थी और केवल इसी आधार पर, विद्वत निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के निष्कर्ष को दरकिनार किया जा सकता है।

10. विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक के पैतृक गाँव के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया और मृत्यु जैसा कि स्वाभाविक प्रतीत होता है, शव परिक्षण नहीं किया जा सका और इस तरह, भा० द० स० की धारा 201 के तहत अविश्वसनीय भी दिखाई दे रही है।

11. विद्वान वकील ने (i) **अरबिंद सिंह बनाम बिहार राज्य [ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2124];** (ii) **बैजनाथ और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2017) 1 एस. सी. सी. 101];** (iii) **चरण सिंह @चरणजीत सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य [2023 एस. सी. सी.**

ऑनलाइन 454]; और (iv) **मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन 8080]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क़ानूनी प्रतिवेदनो पर भरोसा जताया है।

12. विदवान सहायक लोक अभियोजक ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि अभि ० सा ० 7/ सुचक के बयान को देखते हुए, जो घटना स्थल पर जाने वाला पहला व्यक्ति है, अप्राकृतिक मृत्यु से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को खून से लथपथ पाया था। टूटे जबड़े और रक्त-धब्बेदार कपड़ों के बारे में तथ्य का समर्थन अभि ० सा ० -1 और अभि ० सा ० -2 द्वारा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपी व्यक्ति अपने बचाव कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे कि मृतक की मृत्यु पेट से संबंधित बीमारी से हुई थी। विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने आगे प्रस्तुत किया कि विवाह के सात वर्षों के भीतर वैवाहिक घर में मृत्यु हो जाती है, जहां दहेज की मांग विशिष्ट है और इस तरह, विद्वान निचली अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत उपलब्ध धारणा को ला करके अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

13. प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान सहायक लोक अभियोजन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय दवारा **जगदीश चंद्र बनाम हरियाणा राज्य [(2019) 9 एससीसी 138]** के मामले में प्रस्तुत मे दिये गये विवरण पर भरोसा जताया है।

14. मैंने निचली अदालत के अभिलेखों और कार्यवाही का अध्ययन किया है और पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर भी ध्यान दिया है।

15. वर्तमान अपील के न्यायसंगत और उचित निपटन के लिए साक्ष्यों की पुनः सराहना करने क लिए अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक/दस्तावेज साक्ष्य पर चर्चा करना उपयुक्त होगा |

16. तथ्य की सुविधा और बेहतर समझ के लिए भा० द० स०. की धारा 304 (बी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैंः -

> ***"304-बी दहेज मृत्यु-****(1) जहां किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, तो ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।*
>
> ***स्पष्टीकरण****-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।*
>
> ***113-बी दहेज मृत्यु के बारे में अनुमान****। -जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज हत्या की है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण बना था।*
>
> ***स्पष्टीकरण****-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।*

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (बी) के तहत उल्लिखित उपरोक्त कानूनी प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि इन धाराओं को लागू करने से पहले निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को पूरा किया जाना चाहिए जो इस प्रकार हैं-

(i) किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी कारण से हुई होनी चाहिए;

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई होनी चाहिए;

(iii) उसकी मृत्यु से तुरंत पहले, महिला को उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना चाहिए;

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए;

(v) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए। इस तरह की क्रूरता या उत्पीड़न महिला की मृत्यु से तुरंत पहले किया गया"

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचक /अभि० सा०-7 की बेटी की मृत्यु शादी के सात साल के भीतर उसके वैवाहिक घर में हुई थी। अभि० सा०-7, जो मृतक के सूचक और पिता हैं, के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह अपनी बेटी के वैवाहिक गांव गए थे, तो उनकी 'समधी' ने उन्हें लापरवाह तरीके से जवाब दिया था। जो उसे संदिग्ध लगता है और इसलिए वह सीधे अपनी बेटी के घर गया, जहाँ उसने पाया कि वह एक खाट पर पड़ी थी। उसने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया और जब वह उसके पास आया तो उसने उसे मृत पाया, उसके बाद वह अपने गांव लौट आया और सह-ग्रामीणों शिव कुमार राम और कारू राम (अभि० सा०-2) को सूचित किया और जब वह फिर से वहां गया, तो उसे वहां शव नहीं मिला, क्योंकि वह गायब था। उनके बयान से, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बेटी की शादी उनकी गवाही की तारीख तक 8 साल पहले की गई थी, जो 24.01.1998 है। उन्होंने कहा कि रु. 6,000/- में से रु. 4000/- का भुगतान किया गया और रु 2000/-, वह अपीलार्थियों को भुगतान नहीं कर सका। उसके मुख्य परीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि साइकिल और कलाई घड़ी देने का वादा किया गया था,

जहाँ वह अपीलार्थियों/अभियुक्तों को साइकिल नहीं दे सका । साइकिल और कलाई घड़ी के संबंध में ये कथन में उनके फरदबेयान की तुलना में सुधार किया गया प्रतीत होता है, जो कि **प्रदर्श सं.-2** है, जिसमें उन्होंने कलाई घड़ी की मांग के बारे में कोई बयान नहीं दिया था। इसमें बस इतना कहा गया था कि दहेज का भुगतान न करने के कारण, अपीलकर्ताओं/आरोपी व्यक्ति द्वारा उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी।

19. उनके मुख्य परीक्षण के माध्यम से उपलब्ध उनकी गवाही के सरसरी अवलोकन से, यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी/आरोपी द्वारा मृत्यु से तुरंत पहले किसी भी दहेज का भुगतान नकद या किसी अन्य रूप में कभी कोई मांग की गयी थी | यह आगे प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी किसी भी मांग के कारण, उसकी बेटी को उसकी मृत्यु/घटना से पहले क्रूरता या मानसिक यातना का सामना करना पड़ा था। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी बेटी ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा दी गई धमकी के बारे में सूचित किया था कि अगर दहेज की मांग पूरी नहीं की गई तो वे उसे मार देंगे, लेकिन उस बयान से भी यह पता नहीं चल सकता है कि उसकी मृत बेटी पर कोई क्रूरता या यातना दी गई थी और उस समय तक यह केवल धमकी तक सीमित है।

20. अभि ० सा० -2 कारू राम ने यह भी कहा कि सूचक अभि० सा०-7 की बेटी की शादी के लिए कुल 6,000 रुपये नकद, एक कलाई घड़ी और साइकिल के लिए बातचीत की गई थी, लेकिन सूचक (अभि० सा०-7)2 ०००/- रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं कर सका और उक्त कारण से, अपीलार्थियों/अभियुक्तों द्वारा उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। वह अभि० सा०-7 का मातृ भाई प्रतीत होता है। प्रतिपरोक्षण में उन्होंने कहा कि बंगाली राम (अपीलार्थी/अभियुक्त) ने कभी भी 2,000/- रुपये नहीं मांगे और अमृत राम से भी इसका भुगतान करने के लिए नहीं कहा।

21. इतनी गवाही उपलब्ध होने के कारण, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि दहेज की मांग सूचक की बेटी की मृत्यु से पहले नहीं उठाई गई थी और उसके बाद

कोई क्रूरता की गई थी| इसलिए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि दहेज की मांग, जैसा कि आरोप लगाया गया है, सूचना देने वाले की बेटी की मृत्यु के सानिध्य में नहीं दिखाई देती है।

22. **बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य [(2011) 11 एस. सी. सी. 359]** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा-17 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा| जो इस प्रकार हैः-

> *"**17.** धारा 498-ए (धारा 304-बी) के तहत मामले पर विचार करते समय, क्रूरता को मृत्यु के समय के निकट होने के दौरान साबित किया जाना चाहिए और यह निरंतर जारी होना चाहिए और आरोपी द्वारा इस तरह के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न से मृतक का जीवन दयनीय होना चाहिए जो उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। तत्काल मामले में, आरोपी के आचरण ने मृतक सरला को शादी के एक साल बाद अपना वैवाहिक घर छोड़ने और लगातार 14 महीने तक अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया। यह केवल पंचायत द्वारा दिए गए आश्वासन पर था कि आरोपी या उसके परिवार के सदस्य मृतक सरला को अपमानित नहीं करेंगें या क्रूरता नहीं करेंगे, कि वह अपने वैवाहिक घर में फिर से शामिल हो गई। यह गुलशन (अभि० सा० 5) का विशिष्ट प्रमाण है कि उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले, जब वह अपनी बहन से मिलने गया था, तो अपीलार्थी द्वारा स्कूटर की मांग की गई थी। ऐसी तथ्य स्थिति में, हम अपीलार्थी ओर से की गई प्रस्तुति में कोई बल नहीं पाते हैं कि मृत्यु के सनिध्य में स्कूटर की कोई मांग नहीं थी।*

23. अभि० सा०-1 सिया राम है, जो मृतक के वैवाहिक घर गया और शव को देखा, जहां उसे मृतक का दाहिना जबड़ा टूटा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी

अमृत राम (अभि० सा०-7) से मिली है। अभि० सा०-2 भी सुनी सुनाई गवाही दे रहा है, जिसे अपने आंगन में बैठने के दौरान घटना की जानकारी मिली थी।

24. अभि० सा०-7 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह पहली बार अपनी बेटी के वैवाहिक घर गए तो उन्होंने देखा कि वह खाट पर लेटी हुई थी। उसने उसके शरीर पर कोई खून के धब्बे वाले कपड़े या हिंसा का कोई निशान नहीं देखा। इसके बाद, वह तुरंत अपने गाँव लौट आया और अपने सह-ग्रामीणों को घटना की सूचना दी और फिर से अपनी बेटी के वैवाहिक घर लौट आया, जहाँ शव गायब था। उनके बयान के अनुसार, अभि० सा०-1 और अभि० सा०-2 केवल दूसरे अवसर पर उनके साथ घटना स्थल पर पहुंचे और तब तक शव गायब था। इसलिए, मृत शरीर पर चोटों के निशान के बारे में अभि० सा०-1 और अभि० सा०-2 द्वारा दिया गया कोई भी विवरण अविश्वसनीय प्रतीत होता है। यहां तक कि अभि० सा०-7 ने भी अपनी मृत बेटी पर कोई चोट नहीं देखी जब वह पहली बार आया था और इसलिए, जख्मों के निशान और खून से सने कपड़ों के संबंध में उसकी गवाही में सुधार दिखाई देता है। निःसंदेह, इस मामले में कोई शव परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है और इतने सारे सबूतों के साथ, यह कहना सुरक्षित प्रतीत होता है कि सूचक की बेटी की मौत अप्राकृतिक नहीं थी।

25. ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सूचना देने वाले की मृत बेटी की सात साल के भीतर उसके वैवाहिक घर में मृत्यु हो गई, जहां दहेज की मांग की गई थी, इसलिए विद्वत निचली अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत उपलब्ध अनुमान को खड़ा किया। इस संदर्भ में, **बैजनाथ और अन्य** (उपर्युक्त) के मामले में प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी विवरण को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैंः-

> "**25.** जबकि संहिता की धारा 304-बी द्वारा परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध में, इसके तत्व हैंः

(i) संबंधित महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से होती है, और

(ii) उसकी शादी के सात साल के भीतर होती है, और

(iii) कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना परा था। संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध पति या उसके रिश्तेदार को आकर्षित करता है यदि वह क्रूरता का शिकार होती है। इस धारा का स्पष्टीकरण "क्रूरता" को इस प्रकार उजागर करता हैः

(i) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जो 15/24 महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या गंभीर चोट या जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए खतरा पैदा करने की संभावना है, या

(ii) महिला का उत्पीड़न, जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उदेश्य से है या उसके या उससे संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।

29. उल्लेखनीय है कि यह धारणा भी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में मृत महिला की क्रूरता या उत्पीड़न के प्रमाण पर आधारित है। इस प्रकार दहेज मृत्यु के बारे में धारणा केवल इस तथ्य के प्रमाण पर सक्रिय होगी कि मृतक महिला को अभियुक्त द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध

में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था और वह भी मृत्यु के उचित सानिध्य में। इस प्रकार ऐसा प्रमाण आरोपित व्यक्ति द्वारा दहेज मृत्यु के अपराध को करने के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा अन्यथा संविधानिक रूप से निर्धारित अनुमान को लागु करने के लिए विधायी रूप से अनिवार्य शर्त है|

30. इन तीनों प्रावधानों का एक संयुक्त पठन, इस प्रकार अभियोजन पक्ष के बोझ को प्रत्यक्ष और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा दोनों अपराधों के घटकों को निर्विवाद रूप से प्रमाणित करने के लिए पूर्वनिर्धारित करता है ताकि अभियुक्त के खिलाफ अधिनियम की धारा 113-बी में निहित अनुमान का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार पति या उसके रिश्तेदार या आरोपित व्यक्ति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का प्रमाण वैधानिक धारणा को प्रेरित करने के लिए अनिवार्य है ताकि अभियुक्त व्यक्ति को उसके दायरे में लाया जा सके। यदि अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए ठोस, सुसंगत और प्रेरक साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित करने में विफल रहता है, तो किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को सबूत में कमी को छिपाने के लिए केवल अनुमान की शरण लेकर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

26. आगे **चरण सिंह @चरणजीत सिंह** (उपरोक्त) मामले में पारा 11 में दिये गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार हैः-

"11. बैजनाथ के मामले (ऊपर) में भा० द० सं० की धारा 304-बी और 498-ए की व्याख्या पर विचार किया गया। विचार (मंतव्य) को उसके पारा 25 और 27 में सनछेपित गया था, जो नीचे दिए गए हैंः

(i) संबंधित महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई है, और

(ii) उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई है, और

(iii) उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, उसे उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध पति या उसके रिश्तेदार को संलग्न करता है यदि वह क्रूरता का शिकार होती है। इस धारा के स्पष्टीकरण "क्रूरता" को इस प्रकार उजागर करता हैः

(i) ऐसा कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या जिससे जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा हो सकता है, या

(ii) महिला का उत्पीड़न, जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण है।

27. यह तय स्थिति है कि इस मामले के जांच अधिकारी ने जांच नहीं की है और इस तरह, वाद के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के स्थान को साबित नहीं किया गया था। इसके अलावा, जांच अधिकारी का परिक्षण न करने से अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है और इस संदर्भ में, विद्वान न्यायमित्र ने **मुन्ना लाल** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा-38 और 39 को रखा, जो इस प्रकार हैंः

“38. सबसे पहले, घटना के लगभग 24 दिन बाद द०प्र०स० की धारा 161, के तहत अभि० सा०-3 का बयान दर्ज किया गया था। चूँकि जाँच अधिकारी कठघरे में प्रवेश नहीं किया, इसलिए अपीलार्थियों के पास उससे प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं था और जिससे इस तरह की देरी का कारण पता चले। नतीजतन, जांच के दौरान अभि० सा०-3 के बयान दर्ज करने में देरी का उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए, अनुचित बना हुआ है। जांच की प्रक्रिया के दौरान बाद में अभि० सा०-3 को एक चश्मदीद गवाह के रूप में तय किए जाने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है।

39. दूसरा, हालांकि कहा जाता है कि अभि० सा०-4 5 सितंबर, 1985 को दोपहर 1:30 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और शव के कूल्हे के जख्म से निकलने वाले खून में एक गोली बरामद की, लेकिन उन हथियारों को जब्त करने के लिए कोई विचार योग्य प्रयास नहीं किया गया है जिनसे जानलेवा हमला किया गया था। यह सच है कि हथियार (हथियारों) को जब्त करने में केवल विफलता/उपेक्षा अभियोजन मामले को खारिज करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, लेकिन तथाकथित चश्मदीद गवाहों, अर्थात अभि० सा०-2 और अभि० सा०-3 की मौखिक गवाही, इस न्यायालय द्वारा पूरी तरह से वास्तविक नहीं पाई जा रही है के सामने यह महत्वपूर्ण है। खोई कड़ियाँ जांच अधिकारी द्वारा प्रदान किए जा सकते थे, जो फिर से, कठघरे में प्रवेश नहीं किया। गवाह से पूछताछ न होने से बचाव पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है और प्रत्येक मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। जैसा कि अभि० सा०-4 ने बताया कि जांच अधिकारी गवाह के रूप में गवाही नहीं दे सका, इसका कारण यह है कि उसे प्रशिक्षण के लिए

भेजा गया था। यह नहीं दिखाया गया था कि जांच अधिकारी किसी भी परिस्थिति में निचली अदालत में अपनी गवाही दर्ज करने के लिए रास्ता नहीं छोड़ सकता था। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो निचली अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के मुद्दे पर विचार किया। वर्तमान मामले के तथ्यों में, विशेष रूप से अभियोजन मामले में विशिष्ट अंतराल और अभि० सा०-2 और अभि० सा०-3 के साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होने के कारण, यह न्यायालय वर्तमान मामले को ऐसे मामले के रूप में मानता है जहां जांच अधिकारी की परीक्षा महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता था। उसकी गैर-परीक्षा अपीलार्थियों पर मुकदमा चलाने के अभियोजन पक्ष के प्रयास में एक भौतिक कमी पैदा करती है, जिससे अभियोजन मामले में उचित संदेह पैदा होता है।"

28. दिलचस्प बात यह है कि विद्वान न्यायमित्र के द्वारा यह बताया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त, अर्थात् श्याम सुंदर राम, जो कोई नहीं बल्कि मृतक का पति है, इस मामले में प्रति सा० .-1 के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के सहारे परिक्षण किया गया, जहाँ विद्वत निचली अदालत के समक्ष 07.08.2003 को लिखित अनुरोध किया गया था। प्रति सा० -1 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के कारण और दहेज की मांग के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव दिए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने जबड़े की चोटों और खून से सने कपड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि यह अभि० सा०-1, अभि० सा०-2 और अभि० सा०-7 द्वारा देखा गया था जिससे पता चलता है कि मृत्यु अप्राकृतिक थी। यह आगे प्रतीत होता है द० प्र० स० की धारा 313 के तहत कि अपीलार्थियों/अभियुक्तों का परिक्षण भी बहुत ही गुप्त और आकस्मिक तरीके से दर्ज की गई प्रतीत होती है और उन्हें दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या किए बिना दोषी ठहराया गया है और निश्चित रूप से, अपीलार्थियों/अभियुक्त व्यक्तियों की ऐसी गुप्त जाँच के आधार पर

दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने **सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 10 एस० सि० सि० 270** के मामले में प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा जाताया जो निम्नानुसार है -

> "10. द० प्र० सं० की धारा 313 के तहत रखे गए प्रश्नों की पूरी तरह से अध्ययन जांच करने पर, हम पाते हैं कि प्रश्न करते समय कोई भी आपत्तिजनक सामग्री अभियुक्त के ध्यान में नहीं लाई गई है। श्री तलवार ने प्रस्तुत किया है कि दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत प्रत्यारोपित आवश्यकता एक खाली औपचारिकता नहीं है। उपरोक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने *रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य* [(2009) 6 एस. सी. सी. 595: (2009) 3 एस. सी. सी. (आपराधिक) 92] में प्राधिकरण से प्रेरणा ली है। उसी पर भरोसा करते हुए, वह तर्क देंगे कि जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के सामने दोषारोपण करने वाली सामग्री नहीं रखी गई है, तो यह निचली अदालत की ओर से दोषसिद्धि को कानूनी रूप से दूषित करने में गंभीर चूक के समान है।
>
> 11. इस संदर्भ में, हम लाभप्रद रूप से तारा सिंह बनाम राज्य [1951 एस. सी. सी. 903: ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 441: (1951) 52 सी. आर. आई. एल. जे. 1491] में चार-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को संदर्भित कर सकते हैं, जिसमें, न्यायमूर्ति बोस ने संहिता की धारा 342 के साथ वफादार और निष्पक्ष अनुपालन के महत्व को समझाते हुए, जैसा कि तब था, इस प्रकार राय दीः (ए. आई. आर. पेज 445-46, पैरा 30)
>
> > "30. मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों का ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से पालन करने के महत्व

पर बहुत अधिक जोर नहीं दे सकता। न्यायिक अदालत में किए गए प्रश्नों और उत्तरों की एक लंबी श्रृंखला को पढ़ना और यह पूछना कि क्या कथन सही है, उचित अनुपालन नहीं है। इस तरह का सवाल भ्रामक है। इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि क्या रिकॉर्डिंग सही है, या क्या दिए गए उत्तर सही हैं, या क्या सटीक रिकॉर्डिंग के बावजूद कुछ गलती या गलतफहमी है। दूसरे स्थान पर, तथ्यों की एक लंबी श्रृंखला को एक साथ जोड़ना और आरोपी से पूछना कि उसका उनके बारे में क्या कहना है, पर्याप्त अनुपालन नहीं है। उससे प्रत्येक भौतिक परिस्थिति के बारे में अलग से सवाल किया जाना चाहिए जिसका उपयोग उसके खिलाफ किया जाना है। इस धारा का पूरा उद्देश्य अभियुक्त को उन परिस्थितियों को समझाने का एक निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना है जो उसके खिलाफ दिखाई देती हैं। इसलिए पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए और इसे ऐसे रूप में रखा जाना चाहिए जिसकी एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति सराहना कर सके और समझ सके। भले ही जब कोई आरोपी व्यक्ति अनपढ़ नहीं होता है, तब भी जब वह हत्या के आरोप का सामना कर रहा होता है तो उसका दिमाग परेशान होने के लिए तैयार होता है। इसलिए वह एक जटिल प्रश्न के महत्व को समझने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है। इसलिए निष्पक्षता की आवश्यकता है

कि प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को सरल और अलग तरीके से इस तरह से रखा जाना चाहिए कि एक अनपढ़ मन, या जो परेशान या भ्रमित है, वह आसानी से सराहना कर सके और समझ सके। मेरा यह सुझाव नहीं है कि इस संबंध में प्रत्येक त्रुटि या चूक अनिवार्य रूप से एक परीक्षण को दूषित कर देगी क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्रकार की त्रुटियां उपचार योग्य अनियमितताओं की श्रेणी में आती हैं। इसलिए, प्रत्येक मामले में सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि त्रुटि की मात्रा क्या है और क्या पूर्वाग्रह पैदा हुआ है या होने की संभावना है। मेरी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के प्रावधानों की अवहेलना, इस मामले में इतनी घोर है कि मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह की गंभीर संभावना है।

12. *हेट सिंह भगत सिंह बनाम मध्य भारत राज्य* [1951 एस. सी. सी. 1060: ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 468:1953 सी. आर. आई. एल. जे. 1933] में न्यायमूर्ति बोस, तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए संहिता के तहत अभियुक्त के बयान को दर्ज करने के महत्व पर प्रकाश दल्लते हुये इस प्रकार व्यक्त किया|(ए० आइ० आर० 469-70, पैरा 8)

"8. अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 208,209 और 342 के तहत दर्ज अभियुक्त व्यक्ति के बयान मुकदमे में विचार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से हैं। यह याद रखना होगा कि इस देश में एक अभियुक्त व्यक्ति को कठघरे में प्रवेश करने और अपने बचाव में शपथ लेने की अनुमति नहीं

> है। यह कुछ मामलों में अभियुक्त की सुरक्षा के लिए काम कर सकता है लेकिन कहीं और के अनुभव से पता चला है कि यह एक निर्दोष व्यक्ति के हाथों में रक्षा का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार भी हो सकता है। न्यायिक दण्डाधिकारी और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किये गए अभियुक्त के बयानों का उद्देश्य भारत में इंग्लैंड और अमेरिका में कठघरे में उसके द्वारा अपने तरीके से कहने के लिए स्वतंत्र होने का स्थान लेना है।

13. उपरोक्त सिद्धांत *अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य* [(2007) 12 एस. सी. सी. 341: (2008) 1 एस. सी. सी. (आपराधिक) 371] में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया हैः (एस. सी. सी. पृष्ठ 347-48, पैरा 14) "

> 14. उप-धारा (1) (बी) में 'आम तौर पर' शब्द पूछताछ की प्रकृति को मामले से संबंधित एक सामान्य प्रकृति के एक या अधिक प्रश्नों तक सिमित नहीं करता है। बल्कि इसका मतलब है कि प्रश्न आम तौर पर पूरे मामले से संबंधित होना चाहिए और इसके किसी विशेष हिस्से या हिस्सों तक भी सीमित होना चाहिए। प्रश्न को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को यह पता चल सके कि उसे क्या समझाना है, कौन सी परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हैं और जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस धारा का पूरा उद्देश्य अभियुक्त को उन परिस्थितियों को समझाने का एक निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना है जो उसके खिलाफ दिखाई देती हैं और यह कि प्रश्न निष्पक्ष होने चाहिए और ऐसे रूप में

> रखे जाने चाहिए जिसे एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति जानने और समझने और समझने में सक्षम हो। जिस बात की व्याख्या करने के लिए उसे कभी नहीं कहा गया था, उसे समझाने में आरोपी की विफलता के आधार पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से गलत है। संहिता की धारा 313 को अधिनियमित करने का पूरा उद्देश्य यह था कि अभियुक्त का ध्यान आरोप के विशिष्ट बिंदुओं और उन साक्ष्य की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिन पर अभियोजन पक्ष दावा करता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला बनाया गया है ताकि वह ऐसा स्पष्टीकरण दे सके जो वह देना चाहता है।

30. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान सामने आए कई संदेहों का जवाब देने में विफल रहा, जिसका लाभ अपीलार्थियों/अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए।

31. तदनुसार, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है।

32. अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, त्वरित अपर न्यायालय, नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा 1 रहुई थाना कनद संख्या 2/1990 से उत्पन्न सत्रवाद संख्या 51/1991/ विचरण सं. 70/2002 में पारित दिनांक 19.11.2003 दोषसिद्धी का आपेक्षित निर्णय और सजा के आदेश को इसके द्वारा दरकिनार किया जाता है। उपरोक्त नामित अपीलार्थी/अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए उपरोक्त आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

33. पटना उच्च न्यायालय, कानूनी सेवा समिति को, एतद्द्वारा, वर्तमान अपील के निपटारे के लिए विद्वान न्यायमित्र श्री प्रिंस कुमार मिश्रा को अपनी मूल्यवान

पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए समेकित शुल्क के रूप में 5,000/- रुपये (पांच हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

34. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह निचली अदालत के अभिलेखों को निर्णय की एक प्रति के साथ निम्नस्थ अदालत को वापस भेज दे।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।